


26.03.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री हंसराज अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री परोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि इस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को अब आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः जरिये Withdrawal खारिज करना फरमावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को कोई ऐतराज नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर,सिरोही

